

20.03.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल वादी पत्र अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. को वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

*hpi*

सहायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ

